कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक) करौली

:: कार्यालय आदेश ::

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–I/आरपीएससी–13/फार्म/2856/2018–19/121–122 दिनांक 13.08.2020 द्वारा राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013(एनजेआर) में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु स्थानीय कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम,1999 के प्रावधानों एवं नियम–2017 के अनुसार वेतन लेबल–05 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में 2 बर्ष के प्रोवेशन पर नियत मानदेय 14600/– अथवा विद्यमान वेतन (राजकीय सेवारत के लिए) पर नियुक्ति प्रदान कर आशार्थी द्वारा काउन्सलिंग में दिये गये विकल्प के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष आशार्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों का अवलोकन कर अपेक्षित कार्यवाही करें –

1. अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार की रिपोंट, दो राजपत्रित अधिकारी एवं अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र तथा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पूर्व मे राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डी.ओ.पी./ए–II/95 दिनांक 8.04.2003 की पालना में दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र / अविवाहित होने की स्थिति में अविवाहित होने का शपथ पत्र एवं दहेज न लेने/ न देने का शपथ पत्र रू 50/– के स्टॉम्प पर कार्यग्रहण के समय प्राप्त करें।
3. आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं,आयु व अन्य किसी छूट (अजा/अजजा/ओबीसी/एमबीसी एवं विकलांग आदि की) वैद्यता संबंधी जांच कर सत्यता के लिये रु. 50/– के स्टॉम्प पर शपथ पत्र इस उल्लेख के साथ प्राप्त करें कि इनके द्वारा अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पायी गई तो उन्हें प्रदत्त नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. एमबीसी/ओबीसी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पिता की आय के आधार पर जारी किया गया हो।
5. इन आशार्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.03 के प्रावधानानुसार अंशदायी पंशन योजनान्तर्गत होगी ।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान कार्यग्रहण कराने से पूर्व मूल दस्तावेजो से करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पायी जाती है तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त कार्यालय को भिजवायेंगे।
7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनायें व दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।

संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्यग्रहण कराने के उपरान्त इनकी प्रविष्टि शालादर्पण में इन्द्राज करावें। नियुक्त कार्मिकों को दिनांक 31.08.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

पृष्ठांकित सूची–एक

(भरत लाल मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
माध्यमिक करौली

क्रमांक –जिशिअ/मुख्यालय/माशि/करौली/संस्था–I/फा.नियुक्ति क.स./2020/ 213 दिनांक 20.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1–शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2–संयुक्त शासन सचिवप्रशासनिक सुधार शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सचिवालय जयपुर।
3–सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5– संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर।
6– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करौली।
7– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक करौली/ टोडाभीम।
8–संबंधित संस्थाप्रधान।
9–सबंधित अभ्यर्थी।
10–रक्षित पत्रावली।

(भरत लाल मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
माध्यमिक करौली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक करौली

क्रमांक–जिशिअ / मुख्यलय / माशि / करौली / संस्था–। / फा.नियुक्ति क.स. / 2020 / 213

दिनांक 20.08.2020

क्र.स.	मेरिट संख्या	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	जन्म दिनांक	स्थाई पता	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1	1205	ANURAG SHARMA	RAMCHARAN SHARMA	GE	GEN	24-05-91	ग्रामपोस्ट–गुढलिया तह. बसवा जिला–दौसा–303325	राउमावि नागलपहाडी	टोडाभीम
2	1211	KULDEEP SINGH RAJPOOT	SARDAR SINGH RAJPOOT	GE	GEN	01-10-91	63 / 2, विनायक नगर, जयपुर–आगरा बाइपास रोड, दौसा– 303303	राउमावि करौली	करौली
3	1213	GOPAL SHARMA	SATYANARAYAN SHARMA	GE	GEN	04-10-84	वार्ड न. 41 बद्रीनारायण मन्दिर के पास, प्रतिभा नगर, चूरू–331001	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक करौली	करौली
4	1323	YOGESH KUMAR	DHAN SINGH YADAV	BC	OBC	05-07-93	ग्राम– सारनवास पोस्ट इकरोटिया तह.–कोटकासिम जिला अलवर–301702	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक करौली	करौली

(भरत लाल मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक करौली